रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 1986/पौष 20, 1907

No. 15] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 1986/PAUSA 20, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1986

सा.का.नि. 21(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग (भारत सरकार का सालिसिटर भर्ती नियम, 1983) (भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 14 अप्रैल, 1984 में सा. का. नि 369 के रूप में प्रकाशित) की उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में हस्तान्तर लेखन प्रारूपकार, भारत सरकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् .--

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) भारत सरकार का हस्तांतर लेखन प्रारूपकार भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि :--उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 1: में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6क
भारत सरकार का हस्तांतर लेखन प्रारूपकार	1* (1986) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	3000—रु. प्रतिमास और सेवा की अवधि को संतोषप्रद रूप से पूरा करने की दशा में सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 2500 रु. प्रतिवर्ष बोनस	लागू नहीं होता	45 वर्ष से कम नहीं टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उन से भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य । (2) हस्तांतर लेखन कार्य में कम से कम 9 वर्ष के अनुभव के साथ उच्च न्यायालयों या भारत के उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 18 वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9
टिप्पण 1 अर्हताएं अन्यथा सुसंहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते। वांछनीय (1) कंपनी विधि विषयों में अनुभव। (2) केन्द्रीय या राज्य सरकारों में हस्तांतर लेखन कार्य।		

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
10	11
अल्पकालिक संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण -- भारत सरकार का हस्तान्तर लेखन प्रारूपकार के पद की अवधि तीन वर्ष होगी जो पारस्परिक सहमति से तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए या एक एक बार में तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी परन्तु कोई भी पदधारी बासठ वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् यह पद धारण नहीं करेगा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
लागू नहीं होता	चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

[सं. ए. 12018/2/81-प्रशा 1 (वि. का.)]
एस. के. सेठ, उप सचिव,

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 1986

G.S.R. 21 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs (Solicitor to the Government of India) Recruitment Rules, 1983 (published as G.S.R. 359 in the Gazette of India Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 14th April, 1984) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Conveyancing Draftsman to the Government of India, in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, namely :-

1. Short title and commencement :—(i) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, (Department of Legal Affairs) (Conveyancing Draftsman to the Government of India) Recruitment Rules, 1986

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Schedule, annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit and Other Qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	6a	7
Conveyancing Draftsman to the Govt. of India	1* (1986) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 3000 p.m. plus a bonus of Rs 2500 per annum for each completed year of service subject to the satisfactory completion of the period of service.	N.A.	Not less than 45 years. Note. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep.)	No	Essential : (i) Degree in law of a reocognised University or equivalent. (ii) Experience as an Advocate in the High Courts or the Supreme Court of India for not less than 18 years with atleast 9 years experience in the field of Conveyancing work. Note 1 :—Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possess-

1	2	3	4	5	6	7a	7
							ing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Experience in company law matters. (ii) Conveyancing work in the Central or State Governments.

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
N.A.	N.A.	By direct recruitment on short-term contract basis. Note :—The tenure of office of the Conveyancing Draftsman to the Government of India shall be for a period of three years which may be extended for a period of three years or further periods of three years at a time by mutual consent provided that no incumbent shall hold the post after completion of the age of sixty two years.	N.A.	N.A.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the U.P.S.C.

[No. A.12018/2/81-Adm.I(LA)]
N. K. SETH, Dy. Secy.

1393 GI/85—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986